आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारें में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 196/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

28/8/24

भूदाता श्री बखेरा सिंह यादव, पिता–साहेब सिंह यादव, ग्राम–टेकारी, थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
117	617	05 धूर	उतर–निज दक्षिण–सिवान सलेमपुर पूरब–पुन्नी सिंह पश्चिम–जीतु सिंह

मौजा– टेकारी, थाना नं०–51, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। भूदाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 द्वारा अंचल अधिकारी करपी के माध्यम नोटिस तामिला कराया गया एवं जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी करपी द्वारा नोटिस तामिला दाखिल किया गया एवं पत्रांक 456 दिनांक 12.08.2021 द्वारा जॉच प्रतिवेदन दाखिल दिया गया। भूदाता की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी के द्वारा आपति दाखिल की गई।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी का जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर अंकित है। राम भजन सिंह यादव का नाम गवाह में दर्ज है। भूदाता द्वारा भूदान–दान पत्र के माध्यम से दिनांक 07.03.1954 को दान दिया गया है। अंचल अधिकारी करपी में जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खतीयान उपलब्ध नहीं है। किस्म धनहर कुल रक्वा 18 डी0 है। हरिनन्दन मंडल , पिता–बखोरा मंडल के नाम से जमावंदी कायम है। जमावंदी रैयत भूदाता का भाई है। मुरारी मंडल, पिता–हरिनन्दन मंडल वर्णित भूमि पर दखल कब्जा में है, जो भूदाता का पुत्र है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है।

भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) विहार पटना का पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता,खेसरा, मौजा एवं रकवा अंकित है वैसे संबंधित मामलों की संपुष्ट की जायेगी।

अतः भूदाता द्वारा भूदान दान पत्र के माध्यम से दिनांक 07.03.1954 को प्रस्तावित भूमि दान दिया गया है। अंचल अधिकारी करपी के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

ह०/ 28/8/24

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

ह०/ 28/8/24

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।